

INDIAN

POLITY

BY - SUJEET BAJPAI SIR



As per Cabinet Mission plan, in the Constituent Assembly to decide allotted members seat in each province, one representative was in ratio to which population?

- (a) 8 Lakh
- (b) 10 Lakh
- (c) 12 Lakh
- (d) 15 Lakh



कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?

- (a) 8 लाख व्यक्ति
- (b) 10 लाखे व्यक्ति
- (c) 12 लाख व्यक्ति
- (d) 15 लाख व्यक्ति



Who among the following persons was not a member of

the Cabinet Mission?

- (a) William Wood
- (b) Pethick-Lawrence
- (c) Stafford Cripps
- (d) A.B. Alexander





इन ट्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?

- (a) विलियम वुर्ड
- (b) पेथिक-लॉरेंस
- (c) स्टैफोर्ड क्रिप्स
- (d) ए.बी. अलेक्जेंडर



Member of constituent assembly, who drafted the Constitution of India, were-

- (a) Nominated by British parliament
- (b) Nominated by Governor General
- (c) Elected by legislative assemblies of various provinces
- (d) Elected by Indian National Congress and Muslim League



भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को-

- (व) ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया
- 🐞 गवर्नर-जनरल द्वारा नामित किया गया
- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया
- (व) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया

+ OTh



fermahel



Who was the first elected Chairman of Constituent Assembly?

- (a) Dr. B. R. Ambedkar
- (b) Dr, Sachchidanand Sinha
- (c) Dr. Rajendra Prasad
- (d) Dr. S. Radhakrishnan



संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे?

- (a) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
- (b) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
- (c) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- (d) एस. राधाकृष्णन





Constituent Assembly of India was established on:

- (a) 10 June, <u>1946</u>
- (b) 09 December, 1946
- (c) 26 November, 1949
- (d) 26 December, 1949



भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी

- (a) 10 जून, 1946 को
- (b) 09 दिसंबर, 1946 को
- (c) 26 नवंबर, 1949 को
- (d) 26 दिसंबर, 1949 को



Who of the following presented the objectives resolution?


- (a) Dr. B. R Ambedkar
- (b) Pt. Jawaharlal Nehru
- (c) Dr. Rajendra Prasad
- (d) Dr. C. D. Deshmukh




संविधान संभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत

किया गया था?

- (a) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
- पं. जवाहर लाल नेहरू
 - (c) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
 - (d) डॉ. सी. डी. देशमुख



Constitution SAFALTA CLASS An Initiative by SHRY3511611





	Sources	Features Borrowed
1.	Government of India Act of 1935	Federal Scheme, Office of governor, Judiciary, Public Service Commissions, Emergency provisions and administrative details.
2.	British Constitution	Parliamentary government, Rule of Law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative writs, parliamentary privileges and bicameralism.
3.	US Constitution	Fundamental rights, independence of judiciary, judicial review, impeachment of the president, removal of Supreme Court and high court judges and post of vice- president.
4.	Irish Constitution	Directive Principles of State Policy, nomination of members to Rajya Sabha and method of election of president.



5.	Canadian Constitution	Federation with a strong Centre, vesting of residuary powers in the Centre, appointment of state governors by the Centre, and advisory jurisdiction of the Supreme Court.
6.	Australian Constitution	Concurrent List, freedom of trade, commerce and inter- course, and joint sitting of the two Houses of Parliament.
7.	Weimar Constitution of Germany	Suspension of Fundamental Rights during Emergency.
	Soviet Constitution	Fundamental duties and the ideal of justice (social,

8.	(USSR, now Russia)	economic and political) in the Preamble.
9.	French Constitution	Republic and the ideals of liberty, equality and fraternity in the Preamble.
10.	South African Constitution	Procedure for amendment of the Constitution and election of members of Rajya Sabha.
11.	Japanese Constitution	Procedure established by Law.



तालिका 3.4 संविधान के स्रोत, एक नजर में

	स्रोत	ली गयी विशेषताएं
1.	भारत शासन अधिनियम, 1935	संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण।
2.	ब्रिटेन का संविधान	संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमण्डल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद।
3.	संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान	मूल अधिकार, न्यायापालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उप-राष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग।
4.	आयरलैंड का संविधान	राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य सभा के लिए सदस्यों का नामांकन।
5.	कनाडा का संविधान	सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र में निहित होना, केन्द्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का




6.	ऑस्ट्रेलिया का संविधान	समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
7.	जर्मनी का वाइमर संविधान	आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन।
8.	सोवियत संघ (पूर्व) का संविधान	मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) का आदर्श।
9.	फ्रांस का संविधान	गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श।
10.	दक्षिणी अफ्रीका का संविधान	संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।
11.	जापान का संविधान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

Numbers	Subject Matter	Articles Covered
First Schedule	1. Names of the States and their territorial jurisdiction.	1 and 4
	2. Names of the Union Territories and their extent.	
Second Schedule	Provisions relating to the emoluments, allowances, privileges and so on of.	59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 & 221
	The President of India	
	2. The Governors of States	
	The Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha	
	4. The Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha	
	The Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly in the states	
	6. The Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council in the states	
	7. The Judges of the Supreme Court	
	8. The Judges of the High Courts	



	9. The Comptroller and Auditor-General of India	
Third Schedule	Forms of Oaths or Affirmations for:	75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 and 219
	1. The Union ministers	
	2. The candidates for election to the Parliament	
	3. The members of Parliament	
	4. The judges of the Supreme Court	
	5. The Comptroller and Auditor-General of India	
	6. The state ministers	
	7. The candidates for election to the state legislature	
	8. The members of the state legislature	
	9. The judges of the High Courts	







anguages recognized by the Constitution. Originally, had 14 languages but presently there are 22 languages. They are: Assamese, Bengali, Bodo, Dogri (Dongri), Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Mathili (Maithili), Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. Sindhi was added by Schedule the 21st Amendment Act of 1967; Konkani, Manipuri and Nepali were added by the 71st Amendment Act of 1992; and Bodo, Dongri, Maithili and Santhali were added by the 92nd Amendment Act of 2003. Oriya was renamed as 'Odia' by the 96th Amendment Act of

Eighth

2011.

344 and

351



Ninth Schedule

Acts and Regulations (originally 13 but presently 282)19 of the state legislatures dealing with land reforms and abolition of the zamindari system and of the Parliament dealing with other matters. This schedule was added by the 1st Amendment (1951) to 31-B protect the laws included in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24, 1973, are now open to judicial review.



Tenth Schedule	Provisions relating to disqualification of the members of Parliament and State Legislatures on the ground of defection. This schedule was added by the 52 nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-defection Law.	102 and 191	
Eleventh Schedule	(Panchavars) It has 29 matters. This schedule was	243-G	mont, on (411615
	Specifies the powers, authority and responsibilities of		

क्र. सं.	विषय
प्रथम अनुसूची	 राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं
दूसरी अनुसूची	परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान
	 भारत के राष्ट्रपंति राज्यों के राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापित और उप-सभापित राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य विधान परिषदों के सभापित और उप-सभापित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

संबद्ध अनुच्छेद

l एवं **4**

59,65,75,97, 125,148,158,164, 186, एवं 221



तीसरी अनुसूची

इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं ये उम्मीदवार हैं:

75,84,99,124,146, 173,188 एवं 219

- 1. संघ के मंत्री
- 2. संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी
- 3. संसद के सदस्य
- 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- 6. राज्य मंत्री
- 7. राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
- 8. राज्य विधानमण्डल के सदस्य
- 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश



चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।	4 एवं 80
पांचवीं अनुसूची	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध	244
छठी अनुसूची	असम, मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध	244 एवं 275
सातवीं अनुसूची	संघ सूची (मूल रूप से 97 मगर फिलहाल 100 विषय), राज्य सूची (मूल रूप से 66 मगर फिलहाल 61 विषय) तथा समवर्ती सूची (मूल रूप से 47, फिलहाल 52 विषय) के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन।	246
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं (मूल रूप से 14 मगर फिलहाल 22)। ये भाषाएं हैं- असिमया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिणपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तिमल, तेलुगू तथा उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मिणपुरी और नेपाली	344 एवं 351



को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा और बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 'उड़िया' का नाम बदलकर 2011 में 'ओडिया' कर दिया।

नवीं अनुसूची

भू-सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमण्डलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम (मूलत: 13 परन्तु वर्तमान में 282)। ¹⁹ इस अनुसूची को पहले संशोधन (1951) द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंधन के आधार पर न्यायिक संवीक्षा से इसमें सिम्मिलत कानूनों से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल, 1975 के बाद सिम्मिलत कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

31-ख



दसवीं अनुसूची	दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध, इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसे दल-परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है।	102 एवं 191
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।	243-ন্ত
बारहवीं अनुसूची	नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।	243-ब

Parts	Subject Matter	Articles Covered
2	The Union and its territory	1 to 4
	Citizenship	5 to 11
	Fundamental Rights	12 to 35
W	Directive Principles of State Policy	36 to 51
IV-A	Fundamental Duties	51-A
X	The Union Government	52 to 151
	Chapter I – The Executive	52 to 78
	Chapter II - Parliament	79 to 122
	Chapter III - Legislative Powers of President	123
	Chapter IV – The Union Judiciary	124 to 147
	Chapter V – Comptroller and Auditor-General of India	148 to 151







VI	The State Governments	152 to 237
/	Chapter I – General	152
	Chapter II - The Executive	153 to 167
	Chapter III - The State Legislature	168 to 212
	Chapter IV - Legislative Powers of Governor	213
	Chapter V – The High Courts	214 to 232
	Chapter VI – Subordinate Courts	233 to 237
		238



VII	The States in Part B of the First Schedule (deleted)	(deleted)
VIII	The Union Territories	239 to 242
	The Panchayats	243 to 243- 0
IX-A	The Municipalities	243-P to 243-ZG
IX-B	The Co-operative Societies	243-ZH to 243-ZT
X	The Scheduled and Tribal Areas	244 to 244- A
(x_1)	Relations between the Union and the States	245 to 263
	Chapter I – Legislative Relations	245 to 255
	Chapter II - Administrative Relations	256 to 263



A		***	
(XI	Relations between the Union and the States	245 to 263	L
	Chapter I – Legislative Relations	245 to 255	
	Chapter II - Administrative Relations	256 to 263	
XII	Finance, Property, Contracts and Suits	264 to 300- A	
	Chapter I – Finance	264 to 291	
	Chapter II – Borrowing	292 to 293	
	Chapter III – Property, Contracts, Rights, Liabilities, Obligations and Suits	294 to 300	
	Chapter IV - Right to Property	300-A	
XIII	Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India	301 to 307	
XIV	Services under the Union and the States	308 to 323	
	Chapter I – Services	308 to 314	
	Chapter II - Public Service Commissions	315 to 323	
		323-A to	





₹ F	2	
XIX-A	Tribunals	323-В
Axv	Elections	324 to 329- A
XVI	Special Provisions relating to Certain Classes	330 to 342
XVII	Official Language	343 to 351
	Chapter I – Language of the Union	343 to 344
	Chapter II - Regional Languages	345 to 347

Chapter III—Language of the Supreme Court,

High Courts, and so on

Chapter IV—Special Directives

17+4=21

348 to 349

350 to 351





Q.			
XV	III Emergency Provisions	352 to 360	20 -
XI	X Miscellaneous	361 to 367	
	X Amendment of the Constitution	368	
XX	(I Temporary, Transitional and Special Provisions	369 to 392	
XX	Short title, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals	393 to 395	
(2)	2		



भाग	विषय	संबद्ध अनुच्छेद
I	संघ और उसका राज्य क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
ĮV	राज्य की नीति के निदेशक तत्व	36 से 51
IVΨ	मौलिक कर्तव्य	51-क



V	संघ सरकार	52 से 151
	अध्याय-I-कार्यपालिका	52 से 78
	अध्याय-II-संसद	79 से 122
	अध्याय-III-राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां	123
	अध्याय-IV-संघ की न्यायपालिका	124 से 147
	अध्याय-V-भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	148 से 151
VI	राज्य सरकारें	152
	अध्याय-I-साधारण	152 से 237
	अध्याय-II-कार्यपालिका	153 से 167
	अध्याय-III-राज्य का विधानमंडल	168 से 212
	अध्याय-IV-राज्यपाल की विधायी शक्तियां	213



	अध्याय-V-राज्यों के उच्च न्यायालय	214 से 232
	अध्याय-VI-अधीनस्थ न्यायालय	233 से 237
VII	राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड-ख (निरस्त))	238 निरस्त
VIII	संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243-ण
IXक	नगरपालिकाएं	243-त से 243-छ
IXख	सहकारी समितियां	243-ZH से 243-ZT
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244-क
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
	अध्याय-I-विधायी संबंध	245 से 255
	अध्याय-II-प्रशासनिक संबंध	256 से 263



XII	वित्त, संपत्ति, संविदायें और वाद	264 से 300-1
	अध्याय-I-वित्त	264 से 291
	अध्याय-II-ऋण लेना	292 से 293
	अध्याय-III-संपत्ति, संविदायें, अधिकार, बा ध्यताएं और वाद	294 से 300
	अध्याय-IV-संपत्ति का अधिकार	300-क
XIII	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं	308 से 323
	अध्याय-।-सेवायें	308 से 314
	अध्याय-II-लोक सेवा आयोग	315 से 323
XIV _क	अधिकरण	323-क से 323-ख
xv	निर्वाचन	324 से 329-क
XVI	कुछ वर्गों से सम्बन्धित विशेष प्रावधान	330 से 342
XVII	राजभाषा	343 से 351
	अध्याय-I-संघ की भाषा	343 से 344
	अध्याय-II-प्रादेशिक भाषाएं	345 से 347
	अध्याय-III-सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा	348 से 349
	अध्याय-IV-विशेष निदेश	348 से 349



XVIII	आपात उपबंध	352 से 360
XIX	प्रकीर्ण	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध	369 से 392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 से 395




गलिका 2.2 सेविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम (जुलाई-अगस्त 1946)

क्रम संख्या	दल का नाम	सीटें जीतीं
1.	कांग्रेस	208
2.	मुस्लिम लीग	73
3.	यूनियनिस्ट पार्टी	1
4.	यूनियनिस्ट मुस्लिम्स	1
5.	यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स	1
6.	कृषक प्रजा पार्टी	1
7.	शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन	1
8.	सिख (नॉन कांग्रेस)	1
9.	कम्युनिस्ट पार्टी	1
10.	इंडिपेंडेंट्स (स्वतंत्र)	8
	कुल	296



तालिका 2.3 सेविधान सभा (1946) में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

क्रम संख्या	समुदाय	शक्ति
1.	हिन्दू	163
2.	मुस्लिम	80
3.	अनुसूचित जाति	31
4.	भारतीय ईसाई	6
5.	पिछड़ी जनजातियां	6
6.	सिख	4
7.	ऐंग्लो-इंडियन	3
8.	पारसी	3
	कुल	296



WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:



LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the ²[unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.





Secular que foxyes

Republic - (Morcia) SAFALTAC Head of the State will be elected by people. No Mereditant Herd A.



M Hidayatullah, a former Chief Justice of India, observed, "It is the heart & soul of our Constitution".

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कहा, यह हमारे संविधान का हृदय और आत्मा है



Preamble as Part of the Constitution 1. Berubari Union case (1960): Preamble is not a part of the Constitution. 2. Kesavananda Bharati case(1973); Preamble is a part of the Constitution.



NOTE:

- 1. The Preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislature.
- 2. It is non-justiciable, that is, its provisions are not enforceable in courts of law.



नोट:

1. प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है।

2. यह गैर-बद्नाम है, अर्थात न्यायालयों में इसके प्रावधान लागू नहीं है।



Amendability of the Preamble:

L 42/18/9

Yes

The Preamble has been amended only once so far, in 1976, by the 42nd Constitutional Amendment Act, which has added three new words—Socialist, Secular and Integrity—to the Preamble.



प्रस्तावना की संशोधन:

हाँ

प्रस्तावना में 1976 में 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केवल एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें तीन नए शब्दों-समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया है।